

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-103/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० प्रियंका सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरवल सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, अरवल के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-08.07.2025 से 08.01.2026 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-08.07.2025 से 03.01.2026 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-04.01.2026 से 08.01.2026 तक - कुल-05 (पाँच) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

सं०सं०-2/एल०-103/2026-

1702(2)

पटना, दिनांक- 21/7/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल/अधीक्षक, सदर अस्पताल, अरवल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरवल/डा० प्रियंका सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरवल सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/7/26

सरकार के अवर सचिव।